

(भारत सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन विकास प्रभाग
कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075.

सभी संलग्नकों के साथ आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (केवल स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा)	30.08.2022
--	------------

पंजाब नैशनल बैंक निम्नलिखित पदों हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

पद कोड	पद का नाम	ग्रेड/स्केल	रिक्तियों की संख्या	वेतनमान
01	अधिकारी (अग्नि सुरक्षा)	जेएमजीएस-I	23	36000-1490/7-46430-1740/2- 49910-1990/7-63840
02	प्रबंधक (सुरक्षा)	एमएमजीएस-II	80	48170-1740/1-49910-1990/10- 69810
कुल			103	

डीए, सीसीए, एचआरए/लीज पर आवास, छुट्टी किराया रियायत, चिकित्सा बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य अनुलाभ बैंक के नियमों के अनुसार होंगे।

2. आरक्षण का विवरण:

संवर्ग/स्केल	पद संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	अना.
अधिकारी (अग्नि सुरक्षा)	23	03	01	06	02	11
प्रबंधक (सुरक्षा)	80	12	06	21	08	33
कुल	103	15	07	27	10	44

- रिक्तियों/आरक्षित रिक्तियों की संख्या अनंतिम (अस्थायी) है और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है। आरक्षण में आरक्षित रिक्तियों की कमी भी शामिल है। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक स्केल में विभिन्न पदों के संबंध में आरक्षण बैंक द्वारा तय किया जाएगा।
- आरक्षित वर्ग से संबंधित उम्मीदवार जिनके लिए कोई रिक्ति की घोषणा नहीं की गई है, वे अनारक्षित वर्ग के लिए घोषित रिक्तियों हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

उपयोग किए गए संकेताक्षर: अ.जा.- अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. - अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. - अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अना.-अनारक्षित श्रेणी,

नोट:

- (क) सभी पदों के लिए, भारत में कहीं भी सेवा प्रदान करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ही आवेदन करने की आवश्यकता है।
- (ख) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के आरक्षण के संबंध में, भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

3. पात्रता मापदंड: -

3.1) राष्ट्रीयता / नागरिकता:

- उम्मीदवार को अवश्य होना चाहिए -
- भारत का नागरिक या

- ii. नेपाल का नागरिक या
- iii. भूटान का नागरिक या
- iv. वे तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आए हों या
- v. भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों यथा केनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तांगानिका और ज़ांज़ीबार), जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से विस्थापित हुआ हो, बशर्ते उपर्युक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

3.2) आयु, शैक्षिक योग्यता और शैक्षिक योग्यता के पश्चात् आवश्यक कार्यानुभव (01.07.2022 तक)

पद का नाम	आयु (01.07.2022)	शैक्षिक योग्यता	शैक्षिक योग्यता के पश्चात् न्यूनतम अनुभव
जेएमजी स्केल -I में अग्नि सुरक्षा अधिकारी	न्यूनतम -21 वर्ष अधिकतम - 35 वर्ष	<p>1. नैशनल फायर सर्विस कॉलेज (एनएफएससी) नागपुर से बी.ई (अग्नि)। या</p> <p>2. एआईसीटीई / यूजीसी द्वारा अनुमोदित कॉलेज / विश्वविद्यालय से फायर टेक्नोलॉजी / फायर इंजीनियरिंग / सेफ्टी और फायर इंजीनियरिंग में चार वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.टेक / बीई या समकक्ष) या</p> <p>3. एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं नैशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से डिप्लोमा ऑफिसर कोर्स। या</p> <p>4. एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं इंस्टिट्यूट ऑफ़ फायर इंजीनियर्स इंडिया/इंस्टिट्यूट ऑफ़ फायर इंजीनियरिंग-यूके से स्नातक या</p> <p>5. एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं कुल न्यूनतम 60% अंकों के साथ नैशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से सब-ऑफिसर कोर्स/स्टेशन ऑफिसर कोर्स।</p>	<p>1. शैक्षिक योग्यता क्रमांक 1, 2 और 3 पद योग्यता के लिए पीएसयू/पीएसबी/केंद्र सरकार /राज्य सरकार/सिटी फायर ब्रिगेड/राज्य अग्निशमन सेवाओं में अग्निशमन अधिकारी या समकक्ष पद/ कॉर्पोरेट/बड़े औद्योगिक परिसर में अग्नि सुरक्षा प्रभारी के रूप में न्यूनतम 01 वर्ष का समग्र अनुभव।</p> <p>2. क्रमांक 4 और 5 की शैक्षिक योग्यता के लिए, पीएसयू/पीएसबी/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सिटी फायर ब्रिगेड/राज्य अग्निशमन सेवाओं/ कॉर्पोरेट/बड़े औद्योगिक परिसर में अग्नि सुरक्षा प्रभारी के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का समग्र अनुभव।</p> <p>कौशल योग्यता: उम्मीदवार को अग्नि सुरक्षा मानदंडों और विनियमों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ऊंची इमारतों में आग की रोकथाम और सुरक्षा प्रणालियों का गहन ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी में दक्षता तथा आधारभूत कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है।</p>
एमएमजी स्केल -II में प्रबंधक सुरक्षा	न्यूनतम -21 वर्ष अधिकतम - 35 वर्ष	एआईसीटीई / यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री	सेना/नौसेना/वायु सेना में 5 वर्ष के लिए कमीशन सेवा अधिकारी या एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का न हो या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल(सी ए पी एफ) में सहायक कमांडेंट या समकक्ष रैंक का हो न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा के साथ।

नोट:

(क) पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का स्तर न्यूनतम है। उम्मीदवारों के लिए **01.07.2022** तक उपरोक्त योग्यता/ कार्य अनुभव प्राप्त होना चाहिए और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर विश्वविद्यालय से जारी अंक पत्र और अनंतिम प्रमाण पत्र / डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित योग्यता का परिणाम **01.07.2022 को या उससे पहले** घोषित किया गया होना चाहिए। डिग्री प्रमाण पत्र या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किसी अन्य प्रमाण पत्र में परिणाम की घोषणा की सही तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। अन्यथा, पात्रता निर्धारित करने के लिए अंकतालिका/अनंतिम प्रमाण पत्र / डिग्री प्रमाण पत्र पर प्रदर्शित होने वाली तिथि को ही माना जाएगा। इस मामले में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) उम्मीदवार को आवेदन फॉर्म में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत को विशेष रूप से निकटतम दो दशमलवों तक परिकलित करना चाहिए। जहां सीजीपीए/ओजीपीए प्रदान किया गया है, उसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना चाहिए और आवेदन-पत्र में दर्शाया जाना चाहिए। उम्मीदवार को अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ग्रेड को प्रतिशत में बदलने के संबंध में विश्वविद्यालय के मानदंड और मानदंडों के अनुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत लिखा हो।

(ग) **प्रतिशत की गणना:** प्रतिशत अंक सभी विषयों में सभी सेमेस्टर / वर्ष (वर्षों) में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को सभी विषयों में कुल अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्राप्त किया जाएगा, भले ही ऑनर्स/ वैकल्पिक / अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो। यह उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा जहां श्रेणी/ग्रेड का निर्धारण केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर किया जाता है।

(घ) इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के अंश को अनदेखा कर दिया जाएगा अर्थात् 59.99% को 60% से कम माना जाएगा।

3.3 ऊपरी आयु सीमा में छूट

(i)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
(iii)	बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति	10 वर्ष
(iv)	भूतपूर्व सैनिक, आपातकालीन कमीशन अधिकारी (ईसीओ)/शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी (एसएससीओ) सहित कमीशन प्राप्त अधिकारी जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सैन्य सेवा प्रदान की है और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम सीमा के अधीन, असाइनमेंट पूरा होने पर मुक्त कर दिया गया है (उन लोगों सहित जिनका असाइनमेंट आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है) पर इनके अलावा जिन्हें बर्खास्ती द्वारा अथवा कदाचार के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण हुई अक्षमता या शारीरिक विकलांगता अथवा अशक्तता के कारण डिस्चार्ज किया गया हो।	5 वर्ष
(v)	1984 के दंगों में मारे गए लोगों के बच्चे/परिवार के सदस्य	3 वर्ष

नोट:

(क) उपर्युक्त 3.2 में निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू है।

(ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट केवल शेष श्रेणियों में से एक के साथ संचयी आधार पर दी जाती है जिसके लिए बिंदु संख्या 3.3 (iii) से 3.3 (v) में उल्लेखित अनुसार आयु में छूट की अनुमति है।

(ग) आयु में छूट/अन्य लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में बैंक द्वारा मांगे जाने पर मूल/प्रतियों में आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं करने पर उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी /उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जाएगी।

(घ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति / वर्ग प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।

ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक क्लॉज़ होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार के तहत सिविल पद और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर किए गए क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है। **उम्मीदवार के पास समय-समय पर (विज्ञापन की तिथि से एक वर्ष के भीतर जारी) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर क्लॉज़ के साथ एक वैध ओबीसी प्रमाणपत्र होना चाहिए। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के तहत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी चाहिए।**

(ई) भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए उपलब्ध छूट / अन्य लाभों का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में बैंक द्वारा मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र / प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में) साक्षात्कार के समय या बैंक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा कि वे **30.06.2023** को या उससे पहले, कार्यमुक्त होने वाले हैं, ऐसा न करने पर उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

3.4 परिभाषाएँ:

(ए) भूतपूर्व सैनिक (EXSM):

- (i) केवल उन उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो समय-समय पर संशोधित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 36034/5/85/स्था (एससीटी) दिनांक 27.10.1986 में निर्धारित संशोधित परिभाषा की शर्तों को पूरा करते हैं।
- (ii) एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में उसे उसके पुनर्नियुक्ति के लिए दी गई सुविधा का लाभ उठाने के बाद सिविल पक्ष में नौकरी, सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्ति के उद्देश्य से उसका भूतपूर्व सैनिक का दर्जा समाप्त हो जाता है। हालांकि, यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी उत्तरवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। लेकिन, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, एक भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी भी सिविल रोजगार में कार्यग्रहण करता है, उसे संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के दिनांक-वार विवरण के बारे में स्व-घोषणा/वचनबद्धता देनी चाहिए जिसके लिए प्रारंभिक सिविल रोजगार में कार्यग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती पर भरी जाती हैं और जहां भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होता है।

अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती में कोई आरक्षण नहीं है।

(बी) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण:

क. ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु० 8.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ हेतु ईडब्ल्यूएस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। आय में सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से प्राप्त आय शामिल होगी और यह **आवेदन के वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष की आय** होगी। साथ ही जिन व्यक्तियों के परिवार के पास या स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें परिवार की आय पर ध्यान दिए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में चिन्हित जाने से बाहर रखा जाएगा:

- i. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
- ii. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड;

iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

ख. एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में रखी गई संपत्ति को ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण जाँच लागू करते समय जोड़ा जाएगा।

ग. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचित किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय और बैंक द्वारा अपेक्षित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में मूल/प्रतियों में आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं करने पर उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

घ. इस प्रयोजन हेतु "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन एवं उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होंगे।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां संभावित हैं और भारत सरकार के अगले निर्देशों तथा किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

4. चयन प्रक्रिया

अधिकारी (अग्नि सुरक्षा):

प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, बैंक अपने विवेक से चयन के तरीके का निर्णय लेगा।

1. आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग के बाद साक्षात्कार या
2. लिखित/ऑनलाइन परीक्षा के बाद साक्षात्कार

प्रबंधक (सुरक्षा):

प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, बैंक अपने विवेक से चयन के तरीके पर निर्णय लेगा यथा

1. आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग के बाद साक्षात्कार या
2. लिखित/ऑनलाइन परीक्षा के बाद साक्षात्कार

परिदृश्य 1. आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग के बाद साक्षात्कार:

व्यक्तिगत साक्षात्कार बैंक द्वारा निम्नलिखित तरीके से आयोजित किया जाएगा:

- I. प्रस्तुत किए गए आवेदनों और दस्तावेजों की जांच के आधार पर योग्य पाए जाने वाले सभी उम्मीदवारों को सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

II. साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के लिए उम्मीदवारों का अनंतिम (अस्थायी) रूप से चयन किया जाएगा। उम्मीदवार को साक्षात्कार में सफल होना चाहिए और तत्पश्चात अनंतिम नियुक्ति के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए योग्यता में उच्च स्थान पर होना चाहिए।

परिदृश्य 2. लिखित/ ऑनलाइन परीक्षा के बाद साक्षात्कार:

यदि बैंक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेता है, तो यह निम्नानुसार होगी:

परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक*	अवधि
व्यावसायिक ज्ञान	50	100	60 मिनट

गलत उत्तर के लिए दंड:

*प्रत्येक प्रश्न के लिए, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक में से एक चौथाई अंक दंड के रूप में काटा जाएगा, ताकि सही प्राप्तांक निकला जा सके।

- I. उम्मीदवार को ऑनलाइन लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी | ऑनलाइन लिखित परीक्षा में कट ऑफ़ का निर्णय बैंक द्वारा किया जाएगा।
- II. ऑनलाइन लिखित परीक्षा में बैंक द्वारा तय किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किये गए अंकों के अनुसार तैयार की गई मेरिट के आधार पर साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट करने के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते वे संबंधित पद के लिए शैक्षिक योग्यता और योग्यता के बाद के कार्य अनुभव से संबंधित अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- III. ऑनलाइन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गए कुल अंकों के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के लिए उम्मीदवारों का अनंतिम रूप से चयन किया जाएगा। एक उम्मीदवार को दोनों ऑनलाइन लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए और बाद में अनंतिम नियुक्ति हेतु शॉर्टलिस्ट होने के लिए मेरिट में ऊपर होना चाहिए।

परिदृश्य 1 और परिदृश्य 2 दोनों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- i. व्यक्तिगत साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 45% अर्थात 22.50 और अन्य उम्मीदवारों के लिए 50% अर्थात 25 होंगे।

4.2 व्यक्तिगत साक्षात्कार से पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :

उम्मीदवार की पात्रता और पहचान के समर्थन में एक स्व-सत्यापित छायाप्रति के साथ मूल प्रति में निम्नलिखित दस्तावेजों को साक्षात्कार के समय या बैंक द्वारा मांगे जाने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है, ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उम्मीदवार द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं करने पर उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

- i. वैध साक्षात्कार कॉल लेटर का प्रिंटआउट
- ii. आवेदन फॉर्म की प्रति
- iii. जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम नगर प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि सहित एसएसएलसी / कक्षा X का प्रमाण पत्र)
- iv. फोटो पहचान प्रमाण और पता प्रमाण (आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज)।

- v. शैक्षिक योग्यता के समर्थन में संबंधित दस्तावेज: अंतिम डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र सहित शैक्षिक योग्यता के लिए प्रत्येक सेमेस्टर-वार/वर्ष-वार अंक तालिका और प्रमाण पत्र। **01.07.2022** को या उससे पूर्व परिणाम घोषित किए जाने संबंधी बोर्ड/ विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज जमा करना होगा।
 - vi. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवेदन की तिथि को वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र।
 - vii. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।
 - viii. ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक क्लॉज होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार के तहत सिविल पद और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर किए गए क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है। गैर-क्रीमी लेयर क्लॉज वाला ओबीसी जाति प्रमाण पत्र साक्षात्कार की तिथि को वैध होना चाहिए (विज्ञापन की तिथि के एक वर्ष के भीतर जारी किया गया हो)। **प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम, केंद्र सरकार की सूची/अधिसूचना के साथ अक्षरशः मेल खाना चाहिए।**
 - ix. बेंचमार्क अक्षमता श्रेणी वाले व्यक्तियों के मामले में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में अक्षमता प्रमाण पत्र। यदि उम्मीदवार ने ऑनलाइन परीक्षा के समय किसी स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग किया है, तो निर्धारित प्रारूप में स्क्राइब का विधिवत भरा हुआ विवरण।
 - x. एक भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम/वर्तमान में धारित रैंक (मौलिक और साथ ही कार्यकारी) के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या सेवामुक्त बही की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जो लोग अभी भी रक्षा सेवा में हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उन्हें **30.06.2023** को या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा।
 - xi. सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित) में सेवारत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसके अभाव में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और अन्यथा स्वीकार्य, यात्रा व्यय, यदि कोई हो, का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - xii. 3.3 (v) के तहत आयु में छूट पाने के लिए पात्र व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे 1984 के दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत और वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्राचार सं.एफ.सं.9/21/2006-आईआर दिनांक 27.07.2007 के माध्यम से सूचित किए गए पुनर्वास पैकेज के अनुसार राहत के लिए पात्र हैं।
 - xiii. ऊपर बिंदु संख्या 3.1 की श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - xiv. घोषित किए गए कार्य अनुभव के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज, जिसमें नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, कार्यमुक्ति पत्र (जहां लागू हो), आदि शामिल हैं।
 - xv. पात्रता के पक्ष में कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।
- नोट: आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र के लिए निर्धारित प्रारूप **Recruitments > Recruitment Formalities** टैब के तहत www.pnbindia.in पर उपलब्ध है।

5 आवेदन शुल्क / सूचना / डाक शुल्क (अप्रतिदेय):

आवेदन शुल्क	
अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवार	रु० 59/- [रु० 50/- प्रति उम्मीदवार (केवल सूचना शुल्क) + @18% जीएसटी रु० 9-/-]
अन्य सभी उम्मीदवार	रु० 1003/- [रु० 850/- प्रति उम्मीदवार + @18% जीएसटी रु० 153-/-]

6 सामान्य निर्देश

6.1 एक उम्मीदवार केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा नहीं किया जाना चाहिए। एक से अधिक आवेदन करने के मामले में केवल एक आवेदन को ही रखा जाएगा और अन्य आवेदनों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

6.2 आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। एक बार जमा किए गए आवेदनों को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किए गए आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क को न तो वापस किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

6.3 यदि उम्मीदवार उस पद के लिए अयोग्य पाया जाता है, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, तो बैंक भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा। उम्मीदवारों की पात्रता, पात्रता की जांच का चरण, योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज आदि और भर्ती से संबंधित किसी भी अन्य मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा कोई पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी कोई कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

6.4 नवीनतम पहचान किए जाने योग्य रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, जो आवेदन पत्र में चिपकाया गए फोटोग्राफ के समान होना चाहिए, को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर पर अच्छे से चिपकाया जाना चाहिए और उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपना रूप न बदलें। ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के समय एक समान फोटो प्रस्तुत करने में विफलता के कारण उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। एक उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जगह यानि उसके कॉल लेटर, उपस्थिति शीट आदि और भविष्य में बैंक के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में समान हस्ताक्षर किए गए हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

6.5 परीक्षा केंद्र में निम्नलिखित वस्तुओं की अनुमति नहीं है: -

(ए) कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित) कागज के टुकड़े, ज्यामेट्री / पेंसिल बॉक्स,

(बी) प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर आदि।

(सी) कोई भी संचार उपकरण जैसे ब्लूटूथ, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि- (उम्मीदवार के पास अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। आरोग्य सेतु स्थिति में उम्मीदवार का जोखिम स्तर को दिखाना चाहिए। उम्मीदवार को परीक्षा स्थल में प्रवेश करने पर सुरक्षा गार्ड को यह स्थिति दिखानी होगी। प्रवेश द्वार पर आरोग्य सेतु स्थिति प्रदर्शित करने के बाद, उम्मीदवारों को अपने मोबाइल फोन को बंद करना होगा, और इसे निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा, जिसे बाहर निकलते समय प्राप्त किया जा सकेगा)।

(डी) अन्य सामान जैसे गॉगल्स, हैंडबैग्स, हेयर-पिन, हेयर-बैंड, बेल्ट, कैप आदि।

(इ) अंगूठी, कान की बाली, नोज-पिन, चेन/हार, पेंडेंट, बैज, ब्रोच इत्यादि जैसे सभी आभूषणों की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए।

(एफ) कोई घड़ी/कलाई घड़ी, कैमरा इत्यादि।

(जी) कोई धातु की वस्तु

(एच) कोई भी खाने योग्य वस्तु खुली या पैक की गई

(आई) कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग संचार उपकरणों जैसे कैमरा, ब्लूटूथ उपकरण आदि को छिपाने के लिए अनुचित साधनों के रूप में किया जा सकता है।

इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य में परीक्षा देने पर प्रतिबंध तथा पुलिस शिकायतें शामिल हैं।

उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षा स्थल पर न लाएं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। बैंक, आईबीपीएस या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाली कोई भी एजेंसी किसी भी वस्तु की हानि के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसी भी मूल्य पर या बिना किसी व्यय के उम्मीदवारों की होगी।

6.6 परीक्षा के प्रशासन में कुछ समस्या होने की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है जो परीक्षा आयोजन और/या परिणाम घोषित करने को प्रभावित कर सकता है। उस स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें आवश्यक समझे जाने पर दूसरी परीक्षा आयोजित करना भी शामिल हो सकता है।

6.7 जाति/विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को नीचे परिभाषित किया गया है। जाति/विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत इन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / बेंचमार्क अक्षमता वाले / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है (जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है)

• **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए:** i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के रैंक से निचे स्तर का नहीं) / तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से निचे के स्तर का नहीं है (iv) उप-मंडल अधिकारी वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

• **बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए:** सरकार अधिकृत प्रमाणीकरण प्राधिकारी जिला स्तर पर चिकित्सा बोर्ड होगा जिसमें जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप-मंडल चिकित्सा अधिकारी और एक हड्डी रोग / नेत्र रोग / ईएनटी सर्जन या उपयुक्त द्वारा प्रमाणित प्राधिकारी के रूप में नामित कोई भी व्यक्ति शामिल होगा।

• **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए:** निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया आय और संपत्ति प्रमाण पत्र संलग्नक -I में दिए गए निर्धारित प्रारूप में केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा- :

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

(iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूबीडी / ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय और बैंक द्वारा मांग के अनुसार किसी भी स्तर पर इसके समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.8 ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है। हालांकि बेरोजगार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, उन्हें यात्रा के साक्ष्य, यानि रेलवे रसीद/टिकट प्रस्तुत करने पर सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सबसे निकट मार्ग द्वारा साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आने-जाने के लिए वास्तविक द्वितीय श्रेणी के रेल/साधारण बस किराए का भुगतान किया जाएगा।

6.9 बैंक किसी भी पत्राचार में देरी/अप्राप्त या खो जाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

6.10 इस विज्ञापन के तहत भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित और/या कोई भी परिणामी विवाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

6.11 किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करना एक अयोग्यता होगी।

6.12 बैंक, समानता के पैटर्न की जाँच करने के लिए किसी उम्मीदवार के उत्तरों की तुलना अन्य उम्मीदवारों के साथ करेगा। यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यह संदेह होता है कि उत्तर साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो बैंक संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है और ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.13 कांटेक्ट नंबर/पता/ईमेल आईडी/ऑनलाइन परीक्षा केंद्र / साक्षात्कार केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.14 यदि अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करण की व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

6.15 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार उनके चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित होने के अधीन है। इस तरह की नियुक्ति बैंक की सेवा, आचरण नियमों और नीतियों के भी अधीन होगी।

6.16 उम्मीदवारों को यह ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है कि यदि उनका चयन किया जाता है, तो उन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बैंक की सेवा के लिए जमानत के साथ एक क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करना होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है। यदि वह इस्तीफा दे देता है या सेवा छोड़ देता है / परित्याग कर देता है और / या उसे सौंपे गए कार्य के निष्पादन की उपेक्षा करता है, जिसके परिणामस्वरूप निर्दिष्ट अवधि से पहले बैंक द्वारा नियमों / विनियमों के अनुसार उसकी सेवा समाप्त हो जाती है, तो वह सभी हानियों, लागतों, शुल्कों और खर्चों के लिए बैंक को बांड राशि की सीमा तक हर्जाना देगा/देगी। चयनित अधिकारी बैंक में शामिल होने से पहले क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करेंगे।

पद - स्केल	बांड की राशि	बांड की अवधि
प्रबंधक(सुरक्षा)- एमएमजी स्केल - II	रु 3.00 लाख	03 वर्ष
अधिकारी(अग्नि सुरक्षा) - जेएमजी स्केल - I	रु 2.00 लाख	03 वर्ष

7. बायोमेट्रिक सत्यापन:

बैंक, विभिन्न चरणों में, उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए डिजिटल प्रारूप में उम्मीदवारों के फोटो और अंगूठे के निशान / आईरिस स्कैन को कैप्चर कर सकता है। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अंगूठे का सही निशान / आईरिस स्कैन विभिन्न चरणों में लिया गया है क्योंकि किसी भी विसंगति के कारण उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तदनुसार, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उन दिशानिर्देशों का पालन करें जो उन्हें उनके कॉल लेटर में प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक नहीं पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, उसका / उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने हाथों पर कोई बाहरी पदार्थ जैसे मेंहदी, स्याही, रसायन आदि न लगाएं।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई

- 8.1 उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय कोई भी ऐसा विवरण प्रस्तुत न करें जो गलत, कपटपूर्ण, मनगढ़ंत हो या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को न छिपाएं।
- 8.2 ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के समय (जहां लागू हो), यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए दोषी पाया जाता है:
- परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना या प्रतिरूपण करना या किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना या
 - परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षा (ओं) की सामग्री या उसकी किसी भी जानकारी को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी प्रकार से या किसी भी माध्यम से किसी भी उद्देश्य के लिए मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः प्रस्तुत करना, संचारित करना, भंडारित करना या संचारित और भंडारित करने में सहायता प्रदान करना, या
 - चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी तरह से अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना या किसी भी तरह से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना। या
 - अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना
 - परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या संचार के ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना, ऐसा उम्मीदवार आपराधिक अभियोजन के लिए स्वयं उत्तरदायी होने के अलावा, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हो सकता है:
(क) उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है।
(ख) बैंक द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या भर्ती से, स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जा सकता है
(ग) सेवा की समाप्ति के लिए, यदि वह पहले ही बैंक में कार्यग्रहण कर चुका/ चुकी है।

9. आवेदन कैसे करें: -

- (क) उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट www.pnbindia.in लिंक <Recruitments> पर लॉग-ऑन करना होगा और निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा, उसे भरकर तथा इसे नीचे दिए गए पते पर स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा ऑनलाइन फीस भुगतान के प्रमाण स्वरूप ट्रांजेक्शन नंबर/यूटीआर नंबर, बैंक का नाम और लेन-देन की तारीख और लिफाफे में अन्य सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ भेजें, जिस पर "पद : _____" लिखा हुआ हो।

**मुख्य प्रबंधक (भर्ती अनुभाग),
मानव संसाधन विकास प्रभाग, पंजाब नेशनल बैंक,
कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10,
द्वारका, नई दिल्ली -110075**

- (ख) अपूर्ण आवेदन, ऐसे आवेदन जिनके साथ फीस भुगतान का विवरण और सहायक दस्तावेजों (अर्थात् ऊपर उल्लिखित शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्र की प्रासंगिक प्रतियां) नहीं हैं या ऐसे आवेदन जो निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हैं या किसी भी तरह से अपूर्ण हैं, ऐसे

आवेदनों पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

- (ग) उम्मीदवार को भरे हुए आवेदन, फीस भुगतान का विवरण और अन्य सहायक दस्तावेजों की फोटोकॉपी रखनी चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार के समय उन्हें प्रस्तुत किया जाना है।
- (घ) सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र और सेवा प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रतियां भेजनी चाहिए।
- (ङ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को भी अपने जाति प्रमाण पत्र / वर्ग प्रमाण पत्र / अक्षमता प्रमाण पत्र (जैसा भी मामला हो) की स्व-सत्यापित छायाप्रतियां भेजने की आवश्यकता है।

9.2 भुगतान का माध्यम

आवेदन शुल्क को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाना है:

खाते का नाम	RECRUITMENT OF FIRE SAFETY OFFICERS AND SECURITY MANAGERS PROJECT 2022-23
खाता संख्या	9762002200000415
आई एफ एस सी कोड	PUNB0976200

नोट:

- फीस की राशी ऑनलाइन स्थानांतरण करते समय उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण में अपना पेन नंबर उल्लेखित करें।
- आवेदन पत्र में लेनदेन संख्या/यूटीआर संख्या, बैंक का नाम और लेनदेन की तारीख का उल्लेख करना होगा।

10. ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर

ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि की सूचना, ऑनलाइन परीक्षा के केंद्र/ स्थान के साथ कॉल लेटर के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा और/ या साक्षात्कार की तिथि से पूर्व दे दी जाएगी।

11. घोषणाएं:

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट/सूचनाओं/ निर्देशों के लिए नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर Recruitments अनुभाग देखें।

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	30.08.2022
------------------------------	---	------------

12. अस्वीकरण:

- बैंक इस विज्ञापन में अधिसूचित किसी भी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर, अति आवश्यकता के आधार पर या अन्य कारणों से रद्द/बदल सकता है। भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की स्थिति में, उम्मीदवारों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
- इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम तथा सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।
- उम्मीदवारों के लिए बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए या बैंक में पंजीकरण के समय आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजे गए किसी भी नोटिस / पत्राचार को सभी उद्देश्यों के लिए पर्याप्त सूचना समझा जाएगा।
- COVID-19 के अप्रत्याशित प्रसार के कारण समग्र भर्ती प्रक्रिया बाधित/विलंबित हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई नोटिस जारी किए या बिना कोई कारण बताए आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया को आंशिक रूप से/पूरी तरह से रद्द कर सकता है।